UPMT010010162026

<u>न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–798/2026
अजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–35/2026, धारा–309(4),317(2),352 बी०एन०एस० थाना–बल्देव, जिला मथुरा के अभियुक्त **अजीत** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रस्तुत अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा ईश्वर द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक–28.01.2026 को वह अपने ड्राइवर वकील के साथ अपनी गाड़ी नं०–HR 38 AJ 3479 Balero Pickup से चित्रकूट से फरीदाबाद आ रहा था, जब यमुना एक्सप्रेस टौल पर आया तो 128km के पास पीछे से आ रही Exent car जिसमें तीन लोग सवार थे, उन्होंने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर रूकवा दिया और उसके साथ गाली–गलौच करते हुए उसका मोबाइल फोन व कुछ पैसे भी ले गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर उक्त मामले में धारा–317(2), बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। कथित घटना दिनांक–28.01.2026 की होना कही गयी है, जबकि उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक–30.01.2026 को समय 12.55 बजे दर्ज करायी गयी है। देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिए फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। वास्तविकता यह है कि पुलिस अभियुक्त को पूछताछ के बहाने दिनांक–15/16.02.2026 की रात्रि में उसके घर से पकड़कर ले आयी और थाने पर निरूद्ध रखकर उक्त केस में झूठा चालान कर जेल भेज दिया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धारा का कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–17.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर यमुना एक्सप्रेस–वे पर वादी मुकदमा की गाड़ी रूकवा कर उसका मोबाइल फोन व पैसे लूट कर ले जाने एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उक्त मामले से सम्बंधित वर्तमान अभियुक्त के कब्जे से कुल 1300/–रु० नकद बरामद होने का आरोप है। उक्त घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 19:31:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–23.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त मामले में पूर्व में इस न्यायालय से सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–10.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।